

नया परिवार कार्ड के लिए आवेदन-पत्र
(गलत सूचना देना व ऐसा साबित होना दण्डनीय अपराध है)

नवीनतम
पासपोर्ट साईज
फोटो

रजिस्ट्रेशन संख्या

कार्ड संख्या

1. आवेदक का पूरा नाम पिता/पति का नाम आयु
2. पूरा पता
3. मतदाता सूची संख्या कच्ची बस्ती सर्वे नम्बर
4. मुखिया का नाम, व्यसाय और व्यवसायिक पता
5. आवेदक के परिवार के पूरे व्यक्तियों के नाम जो साधारणतया उसके परिवार में रहते हैं :-

क्रम संख्या	सदस्यों के नाम	उम्र	आवेदक से सम्बन्ध	व्यवसाय
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

(यह स्थान कम पडने पर अलग से सूची संलग्न करें)

6. (1) मैं जयपुर शहर में दिनांक को स्थानान्तरण पर आया हूँ, राशन कार्ड बनाने का कारण हैं।
(2) यह कि इस फार्म में जिस मकान का पता दिया है वह निजि/किराये का है।
7. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पास किसी दूसरे व्यक्ति, परिवार या संस्था का कार्ड नहीं है और न मैंने अलग से उसमें से किसी की प्रार्थना की है और न कम संख्या 05 में दिखाये किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य कार्ड में शामिल कराया हुआ है। ऊपर की गई घोषणा मेरी पूर्ण जानकारी व विश्वास से सही है।
8. इस प्रार्थना-पत्र में बताये गये तथ्यों के बारे में जांच की जा सकती है। मैं जानता हूँ कि यह कार्ड सरकारी की सम्पत्ति है और जब भी जिलाधीश/जिला रसद अधिकारी या अन्य अधिकृत व्यक्ति इसे प्रस्तुत करने को कहेंगे तब इसे मैं प्रस्तुत कर दूंगा।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

फार्म 'अ' प्रतिपत्र

श्री पुत्र
पता..... का नया/डुप्लीकेट कार्ड
बनाने हेतु आवेदन-पत्र दिनांकको प्राप्त हुआ। आवेदन दिनांक
को उपस्थित हो।

वास्ते जिला रसद अधिकारी

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है श्री पुत्र
निवासी
के नया राशन कार्ड बनाने या डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने, नाम बढ़ाने/नाम कम
करवाने हेतु जो प्रार्थना-पत्र दिया है उसमें दिया गया विकल्प सही है व प्रमाण-पत्र
देने से पूर्व मैंने इसकी सत्यता का इतमीनान कर लिया है। अतः उनकी उक्त प्रार्थना
स्वीकार कर ली जाये।

हस्ताक्षर

राजपत्रित अधिकारी/संसद सदस्य,
सदस्य विधानसभा/जिला प्रमुख/पार्षद

भाग-2

जॉच अधिकारी की रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की जाच मेरे द्वारा कर ली
गई है। आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण/अपूर्ण है। आवेदक का राशन कार्ड बनाने की
अनुशंसा की जाती है/नहीं की जाती है।

हस्ताक्षर

प्रवर्तन अधिकारी/निरिक्षक

भाग-3

आदेश

आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण/अपूर्ण पाये जाने पर राशन कार्ड जारी किया जावे/
नहीं किया जावे।

जिला रसद अधिकारी/
अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी